रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 60] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 6, 2012/फाल्गुन 16, 1933
No. 60] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 6, 2012/PHALGUNA 16, 1933

## केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मार्च, 2012

**फा. सं. एल-1/18/2010-सीईआरसी.**—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178 की उप-धारा (2) के खंड (छ) के साथ पठित धारा 79 की उप-धारा (1) के खंड (ज) के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता) विनियम, 2010 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल विनियम" कहा गया) का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

**1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ**

(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता) (पहला संशोधन) विनियम, 2012 है ।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

**2. मूल विनियम के विनियम 2.3.2 में संशोधन**

मूल विनियम के विनियम 2.3.2 के उप-विनियम (घ) में, "मीटरिंग तथा आंकड़ा संग्रहण" शब्दों के स्थान पर "मीटर आंकड़ा प्रसंस्करण" शब्द रखे जाएंगे ।

**3. मूल विनियम के विनियम 2.5.1 में संशोधन**

मूल विनियम के विनियम 2.5.1 के उप-विनियम (2) को हटा दिया जाएगा ।

**4. मूल विनियम के विनियम 3.4 में संशोधन**

मूल विनियम के विनियम 3.4 के उप-विनियम (ग) के अंतिम वाक्य के स्थान पर, निम्नलिखित वाक्य रखा जाएगा :

"सहबद्ध पारेषण प्रणाली की दशा में, जहां सभी पीपीए हस्ताक्षरित न हो तथा जहां प्रणाली सुदृढ़ीकरण स्कीमों की बाबत करार न किया जा सका हो, वहां सीटीयू विनियामक अनुमोदन के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण स्कीम के निष्पादन के लिए केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता को विनियामक अनुमोदन प्रदत्त करना) विनियम, 2010 के अनुसार आयोग के पास आ सकेगा"।

**5. मूल विनियम के विनियम 5.2 में संशोधन**

(1) मूल विनियम के विनियम 5.2 के उपविनियम (ङ) के प्रारंभ में निम्नलिखित वाक्य जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

"उपयोक्ता, एसटीयू तथा सीटीयू द्वारा अपनी-अपनी पारेषण प्रणाली का रखरखाव केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (ग्रिड मानक) विनियम, 2010 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।"

(2) मूल विनियम के विनियम 5.2 के उप-विनियम (च) के खंड (iii) के पश्चात, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु यह कि यदि उत्पादन यूनिट निर्बंधित गर्वनर प्रणाली प्रचालन के अधीन प्रचालित नहीं की जा सकती है तो इसका प्रचालन, प्रचालन के मैनुअल हस्तक्षेप के साथ निर्बाध गर्वनर पद्धति प्रचालन में ऐसी रीति से किया जाएगा जो निर्बंधित गर्वनर पद्धति प्रचालन के अधीन अपेक्षित हो।"

(3) मूल विनियम के विनियम 5.2 के उप-विनियम (i) में, "49.7 एचजेड" अंकों तथा शब्दों के स्थान पर, "49.8 एचजेड" अंक तथा शब्द रखे जाएंगे।

(4) मूल विनियम के विनियम 5.2 के उप-विनियम (ज) में, "49.5 एचजेड" अंकों तथा शब्दों के स्थान पर, "49.7 एचजेड" अंक तथा शब्द रखे जाएंगे।

(5) मूल विनियम के विनियम 5.2 के उप-विनियम (ज) में, अंत में निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा अर्थात्:-

"सभी उपयोक्ता तथा एसईबी यह सुनिश्चित करेंगे कि अचानक भार के कारण अस्थायी अधिक वोल्टता तथा असंतुलित वोल्टता के अधिकतम अनुज्ञेय वेल्यूज हमेशा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (ग्रिड मानक) विनियम, 2010 के अधीन विनिर्दिष्ट सीमाओं के भीतर होंगे।"

(6) मूल विनियम के विनियम 5.2 के उप-विनियम (ड) में, अंत में निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

"आरपीसी आइलैंडिंग स्कीमों को भी तैयार करेगा तथा इसके कार्यान्वयन को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (ग्रिड मानक) विनियम, 2010 के अनुसार सुनिश्चित करेगा। सभी उपयोक्ता तथा एसईबी यह सुनिश्चित करेंगे कि संरक्षण प्रणाली को लगाने तथा उसका

प्रचालन करने में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (ग्रिड मानक) विनियम, 2010 के उपबंधों का अनुपालन किया गया है।"

(7) मूल विनियम के विनियम 5.2 के उप-विनियम (ङ) में, "49.5.50.2 एचजेड" अंकों तथा शब्दों के स्थान पर, "49.7.50.2 एचजेड" अंक तथा शब्द रखे जाएंगे।

(8) मूल विनियम के विनियम 5.2 के उप-विनियम (त) में, अंत में निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

"(त) ग्रिड के भागतः/पूर्णतः फेल होने से उबरने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (ग्रिड मानक) विनियम, 2010 के अनुसार प्रक्रियाएं विकसित की जाएंगी तथा उन्हें विनियम 5.8 के अधीन दी गई अपेक्षाओं के अनुसार आवधिक रूप से अद्यतन रखा जाएगा। इन प्रक्रियाओं के सुसंगत, विश्वसनीय तथा शीघ्र प्रतिस्थापन को सुनिश्चित करने के लिए सभी उपयोक्ताओं, एसटीयू/एसएलडीसी, सीटीयू, आरएलडीसी तथा एनएलडीसी द्वारा इनका अनुसरण किया जाएगा।"

(9) मूल विनियम के विनियम 5.2 के उप-विनियम (द) में, "एक सप्ताह" शब्दों के स्थान पर "24 घंटे" अंक तथा शब्द रखे जाएंगे।

(10) मूल विनियम के विनियम 5.2 के उप-विनियम (ङ) में, अंत में निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा अर्थात्:-

"वोल्टता उतार चढ़ाव तथा वोल्टता वेव-फार्म क्वालिटी को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (ग्रिड मानक) विनियम, 2010 के अनुसार बनाए रखा जाएगा।"

**6. मूल विनियम के विनियम 5.4.2 में संशोधन**

(1) मूल विनियम के विनियम 5.4.2 के उप-विनियम (क) में, "49.7 एचजेड" अंकों तथा शब्दों के स्थान पर, "49.8 एचजेड" अंक तथा शब्द रखे जाएंगे।

(2) मूल विनियम के विनियम 5.4.2 के उप-विनियम (ख) में, "49.5 एचजेड" अंकों तथा शब्दों के स्थान पर, "49.7 एचजेड" अंक तथा शब्द रखे जाएंगे।

**7. मूल विनियम के विनियम 5.6.2 में संशोधन**

मूल विनियम के विनियम 5.6.2 के उप-विनियम (ख) के अंतिम खंड के पश्चात निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थातः-

"आरएलडीसी तथा एसएलडीसी द्वारा दिए गए सभी प्रचालनात्मक अनुदेशों में एक विलक्षण कोड होगा जो केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (ग्रिड मानक) विनियम, 2010 के अनुसार अभिलिखित किए जाएंगे तथा उन्हें बनाए रखे जाएंगे।"

**8. मूल विनियम के विनियम 5.7.4 में संशोधन**

(1) मूल विनियम के विनियम 5.7.4 के उप-विनियम (क) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

" आरपीसी सचिवालय प्रारंभिक रूप से वार्षिक भार उत्पादन तुलनपत्र रिपोर्ट (एलजीबीआर) को अंतिम रूप देने तथा प्रत्येक वर्ष के 31वें दिसम्बर तक आगामी वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक आउटेज योजना के लिए जिम्मेदार होगा । पीक तथा आफ-पीक परिप्रेक्ष्य के लिए संबंधित आरपीसी सचिवालय द्वारा एलजीबीआर तैयार किया जाएगा ।"

(2) मूल विनियम के विनियम 5.7.4 के उप-विनियम (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(ख) सभी एसईबी/एसटीयू, पारेषण अनुज्ञप्तिधारी सीटीयू, आईएसजीएस, आईपीपी, एमपीपी तथा अन्य उत्पादन केन्द्र प्रत्येक वर्ष के 31वें अक्टूबर तक अगले वित्तीय वर्ष के लिए लिखित में प्रस्तावित आउटेज योजना संबंधित आरपीसी सचिवालय को प्रदान करेंगे । इसमें प्रत्येक उत्पादन यूनिट/पारेषण लाइन/आईसीटी आदि की पहचान, प्रत्येक आउटेज की अधिमानी तारीख तथा उसकी अवधि और जहां नम्यता हो, प्रारंभ करने की पूर्वतम तारीख तथा पूरा करने की अंतिम तारीख अंतर्विष्ट होंगे । प्रत्येक एसएलडीसी संबंधित आरपीसी सचिवालय को अगले वित्तीय वर्ष के लिए 31वें अक्टूबर तक पीक तथा आफ-पीक परिप्रेक्ष्य के लिए अपने नियंत्रण क्षेत्र हेतु एलजीबीआर प्रस्तुत करेगा । संबंधित नियंत्रण क्षेत्रों में कमी/अधिशेष का प्रबंध करने के लिए वार्षिक योजना को एसएलडीसी द्वारा प्रस्तुत एलजीबीआर में स्पष्ट रूप से उपदर्शित किया जाएगा।"

3 मूल विनियम के विनियम 5.7.4 के उप-विनियम (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(ग) आरपीसी सचिवालय संबंधित क्षेत्र में पीक तथा आफ-पीक परिप्रेक्ष्य के लिए एलजीबीआर का संकलन तथा वार्षिक आउटेज योजना भी तैयार करेगा । आरपीसी सचिवालय इष्टतम रीति से उपलब्ध संसाधनों के उपयोग तथा मुख्य मानकों को ध्यान में रखते हुए, प्रादेशिक ग्रिड के लिए प्रत्येक वर्ष के 30 नवम्बर तक आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्रारूप एलजीबीआर तथा आउटेज योजना तैयार करेगा । इसे आवश्यक प्रणाली अध्ययन करने के पश्चात तैयार किया जाएगा तथा यदि आवश्यक हो, आउटेज योजना को पुनः अनुसूचित किया जाएगा और तदनुसार, एलजीबीआर को उपांतरित किया जाएगा । आउटेज योजना को अंतिम रूप देते समय, उत्पादन तथा भार अपेक्षा के बीच समुचित संतुलन को सुनिश्चित किया जाएगा । प्रारूप

एलजीबीआर तथा प्रारूप आउटेज योजना को आरपीसी द्वारा अपनी-अपनी वेबसाइट पर डाला जाएगा।"

4. मूल विनियम के विनियम 5.7.4 के उप-विनियम (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(घ) आउटेज योजना को एनएलडीसी तथा आरएलडीसी के परामर्श से अंतिम रूप दिया जाएगा । पणधारियों से टीका-टिप्पणियां/संप्रेक्षणों पर विचार करने के पश्चात, अंतिम एलजीबीआर को आरपीसी सचिवालय द्वारा प्रत्येक वर्ष के 31वें दिसम्बर तक तैयार किया जाएगा । कार्यान्वयन के लिए अंतिम आउटेज योजना तथा अंतिम एलजीबीआर की सूचना एनएलडीसी, उपयोक्ता, एसटीयू, सीटीयू, आईएसटीएस से जुड़े अन्य उत्पादन केन्द्र तथा आरएलडीसी को प्रत्येक वर्ष के 31वें दिसम्बर तक दी जाएगी । अंतिम आउटेज योजना तथा अंतिम एलजीबीआर को संबंधित उपयोगिताओं तथा आरपीसी, आरएलडीसी तथा एनएलडीसी की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा।

**9. मूल विनियम के विनियम 6.3 का संशोधनः** मूल विनियम के विनियम 6.3 के तीसरे पैरा के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"इसी प्रकार सरदार सरोवर परियोजना (एसएसपी) के उत्पादन केन्द्रों के लिए अनुसूचीकरण तथा प्रेषण प्रक्रिया पश्चिमी प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र (डब्ल्यूआरएलडीसी) के परामर्श से नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण (एनसीए) द्वारा विरचित प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी।

**10. मूल विनियम के विनियम 6.4 में संशोधन**

(1) मूल विनियम के विनियम 6.4 के उप-विनियम 1 में "मीटरिंग तथा ऊर्जा लेखांकन, नियंत्रण क्षेत्र के भीतर यूआई लेखा जारी करने " शब्दों के स्थान पर " मीटर आंकड़ा प्रसंस्करण " शब्द रखे जाएंगे।

(2) मूल विनियम के विनियम 6.4 के उप-विनियम 6 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(6) प्रत्येक क्षेत्रीय इकाई की प्रणाली को वैचारिक नियंत्रण क्षेत्र के रूप में समझा तथा प्रचालित किया जाएगा । आईएसजीएस से और दीर्घ-कालिक पहुंच, मध्य-कालिक तथा अल्प कालिक पहुंच व्यवस्थाओं के माध्यम से संविदाओं से अनुसूचित निकासी के बीजीय संकलन प्रत्येक प्रादेशिक इकाई की निकासी अनुसूची को प्रदान किए जाएंगे और इसे आगे के दिन के आधार पर अग्रिम रूप से अवधारित किया जाएगा । प्रादेशिक इकाईयां अपने उत्पादन और/या उपयोक्ता भार को विनियमित करेंगी जिससे कि उपरोक्त अनुसूची के समीप प्रादेशिक ग्रिड से

उनकी वास्तविक निकासी को बनाए रखा जा सके । निकासी अनुसूची से विचलन, यदि कोई हो, केन्द्रीय आयोग द्वारा यूआई विनियमों में विनिर्दिष्ट सीमा के भीतर होगा तथा यह अनुरोध सीमा से परे विकृत हो जाने के लिए प्रणाली पैरामीटरों के लिए एक कारण नहीं होगा तथा अस्वीकार्य लाइन भार को बढ़ावा नहीं देगा । कुल निकासी अनुसूची से ऐसे विचलनों की केन्द्रीय आयोग द्वारा समय-समय पर, यथा विनिर्दिष्ट अननुसूचित विनियम (यूआई) तंत्र के माध्यम से कीमत तय की जाएगी ।"

(3) मूल विनियम के विनियम 6.4. के उप-विनियम 7 की पहली पंक्ति में, "49.7 एचजेड" अंकों तथा शब्दों के स्थान पर, "49.8 एचजेड" अंक तथा शब्द रखे जाएंगे । तथा पांचवी तथा सातवीं पंक्ति में, "49.5 एचजेड" अंकों तथा शब्दों के स्थान पर, "49.7 एचजेड" अंक तथा शब्द रखे जाएंगे ।

(4) मूल विनियम के विनियम 6.4 के उप-विनियम 10 के पश्चात, एक नया उप विनियम 10(क) जोड़ जाएगा, अर्थात्:

"10(क)परीक्षण के दौरान उत्पादन केन्द्रों द्वारा इंफर्म ऊर्जा के अंतःक्षेपण पर, सयम-समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण में संयोजकता, दीर्घ-कालिक पहुंच तथा मध्य-कालिक निर्बाध पहुंच प्रदान करना तथा सहबद्ध विषय) विनियम, 2009 तथा केन्द्रीय विनियामक आयोग (अननुसूचित विनिमय प्रभार तथा सहबद्ध विषय) विनियम, 2009 के अनुसार विचार किया जाएगा । "

(5) ) मूल विनियम के विनियम 6.4. के उप-विनियम 11 में, "49.7 एचजेड" अंकों तथा शब्दों के स्थान पर, "49.8 एचजेड" अंक तथा शब्द रखे जाएंगे ।

**(11) मूल विनियम के विनियम 6.5 में संशोधन**

(1) मूल विनियम के विनियम 6.5 के उप-विनियम 19 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:

"(19) विनियम 6.5.18 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए, ऐसे उत्पादन केन्द्र (जिनकी उत्पादन क्षमता 100 मेगावाट या उससे अधिक है) के यूनिट के बलपूर्वक आउटेज तथा अल्प-कालिक द्विपक्षीय संव्यवहार (पावर एक्सचेंजों के माध्यम मे सामूहिक संव्यवहारों को छोड़कर) के अंतर्गत ऊर्जा बेचने के मामलों में उत्पादक या विद्युत व्यापारी या इस उत्पादन केन्द्र की यूनिट से ऊर्जा बेचने वाला कोई अन्य अभिकरण, यथास्थिति, एसएलडीसी/आरएलडीसी को अनुसूची के पुनरीक्षण और यूनिट के प्रतिस्थापन के अनुमानित समय के लिए अभ्यपेक्षा के साथ यूनिट की आउटेज की तत्काल सूचना देंगे । फायदाग्राहियों, विक्रेताओं तथा इस उत्पादन यूनिट से ऊर्जा के क्रेताओं को अनुसूची को

तदनुसार, पुनरीक्षित किया जाएगा । पुनरीक्षित अनुसूची उस समय स्थान, जिसमें बलपूर्वक आउटेज घोषित किया गया हो, की गणना करते हुए चौथे समय तक से प्रभावी होंगी । यथास्थिति, एसएलडीसी/आरएलडीसी विक्रेता तथा क्रेता को पुनरीक्षित अनुसूची के बारे में सूचना देगा । यूनिट के प्रतिस्थापन के अनुमानित समय से मूल अनुसूची प्रभावी हो जाएगी । तथापि, मूल अनुसूची के अनुसार पारेषण प्रभार दो दिनों के लिए निरंतर संदत्त किए जाते रहेंगे:

परंतु यह कि क्रेता तथा विक्रेता की अनुसूची यूनिट के बलपूर्वक आउटेज के पश्चात पुनरीक्षित की जाएगी यदि विशिष्ट संव्यवहार के लिए ऊर्जा के स्रोत को अल्पकालिक निर्बाध पहुंच आवेदन के दौरान स्पष्ट रूप से उपदर्शित किया गया हो तथा उस उत्पादन केन्द्र की उक्त यूनिट में बलपूर्वक आउटेज किया गया हो:

परंतु यह भी कि विद्युत व्यापारी तथा किसी अन्य अभिकरण (उत्पादन केन्द्र के सिवाय) द्वारा अनुसूची के पुनरीक्षण की बाबत इस विनियम के उपबंध 1 जुलाई 2012 से प्रभावी होंगे ।

(2) मूल विनियम के विनियम 6.5 के उप-विनियम 19 के पश्चात, एक नया उप विनियम 6.5.19क जोड़ा जाएगा, अर्थात्:

"6.5.19क: उत्पादन यूनिट की अनुसूची के पुनरीक्षण की दशा में, दीर्घ-कालिक पहुंच, मध्य-कालिक निर्बाध पहुंच तथा अल्प-कालिक निर्बाध पहुंच (पावर एक्सचेंज के माध्यम से सामूहिक संव्यवहारों के सिवाय) के अधीन सभी संव्यवहारों की अनुसूचियों में आनुपातिक आधार पर कटौती की जाएगी । "

(3) मूल विनियम के विनियम 6.5 के उप-विनियम 23 (i) में अंतिम तीन वाक्यों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"पवन ऊर्जा उत्पादन केन्द्रों (सामूहिक संव्यवहारों को छोड़कर) द्वारा अनुसूची का पुनरीक्षण, यथास्थिति, एसएलडीसी/आरएलडीसी को अग्रिम में सूचना देते हुए किया जा सकेगा । पवन ऊर्जा उत्पादन केन्द्रों द्वारा पुनरीक्षण पहले उस समय स्थान, जिसमें सूचना दी गई है, के छठें समय ब्लाक से प्रभावी होगा । विशिष्ट दिन के 00.00 घंटे से प्रारंभ होने वाले 3 घंटों के प्रत्येक समय ब्लाक के लिए दिन के दौरान अधिकतम 8 पुनरीक्षण के अधीन रहते हुए, एक पुनरीक्षण किया जा सकेगा ।"

**12. मूल विनियम के परिशिष्ट 1 में संशोधन (अनुपूरक वाणिज्यिक तंत्र)**

1. मूल विनियम के परिशिष्ट 1 के पैरा 4 (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात्:-

"(ii)दीर्घकालिक पहुंच, मध्यकालिक पहुंच तथा अल्प-कालिक पहुंच (सामूहिक संव्यवहारों को छोड़कर) के अधीन अंतर-राज्यिक ऊर्जा का प्रदाय करने वाले ऐसे पवन ऊर्जा उत्पादन केन्द्रों द्वारा अनुसूची का पुनरीक्षण संबंधित एसएलडीसी/आरएलडीसी को अग्रिम सूचना देते हुए किया जा सकेगा। पवन ऊर्जा उत्पादन केन्द्रों द्वारा ऐसा पुनरीक्षण उस पहल समय ब्लाक, जिसमें नोटिस दिया गया है, के छठें समय ब्लाक से प्रभावी होगा। विशिष्ट दिन के 00.00 घंटे से आरंभ होने वाले 3 घंटों के प्रत्येक समय स्लाट के लिए पुनरीक्षण, दिन के दौरान अधिकतम 8 पुनरीक्षणों के अधीन रहते हुए, किया जाएगा।"

(2) पैरा 5 तथा पैरा 7 के अंतिम वाक्य, अर्थात उपरोक्त तंत्र की बाबत दृष्टांत रूप से की गई संगणना परिशिष्ट में दी गई है" का लोप किया जाएगा।

(3) मूल विनियम के परिशिष्ट- 1 के पैरा 15 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"15 आरएलडीसी प्रादेशिक यूआई लेखा, प्रादेशिक रिएक्टिव ऊर्जा पूल खाता तथा संकुलन प्रभार लेखा का पूर्ण विवरण आरपीसी की वाणिज्यिक बैठक के समक्ष तिमाही आधार पर संपरीक्षा किए जाने के लिए रखेगा।

(4) मूल विनियम के परिशिष्ट- 1 के पैरा 16 में, "अंतर-क्षेत्रीय एक्सचेंजों में अनुसूचीकरण, और यूआई लेखांकन के इंटरफेस " शब्दों के स्थान पर "अंतर-क्षेत्रीय एक्सचेंजों की अनुसूचीकरण के लिए सीमाएं" शब्द रखे जाएंगे।

(5) मूल विनियम के परिशिष्ट 1 के पैरा 16 के उप-पैरा 1 में " तथा यूआई लेखांकन" शब्दों का लोप किया जाएगा।

13. मूल विनियम के परिशिष्ट को हटा दिया जाएगा।

राजीव बंसल, सचिव

[विज्ञापन III/4/150/11/असा.]

टिप्पणः- मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4, में संख्या 115 में तारीख 28.4.2010 को प्रकाशित किए गए थे। मूल विनियम के संलग्नक को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-3 खंड 4, संख्या 168, तारीख 3.7 2010 तथा मूल विनियम के शुद्धिपत्र को भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-3 , खंड 4, सं. 10 , तारीख 19.1.2011 को प्रकाशित किया गया था।